छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्
छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सी.बी.डी.
सेक्टर –21, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
website- www.markfed.cg.nic.in Email ID:- mf_Ctrlroom_raipur@gov.in

कमांक/स्था.वि./एन. 128II/2926 /2018 अटल नगर, दिनांक 14 .09.2018

//दस्तावेज सत्यापन/काउंसिलिंग सूचना//

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ में लेखापाल पद के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 12.02.2017 के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्रावीण्य सूची के आधार पर लेखापाल पद हेतु विकलांग संवर्ग के अभ्यर्थियों के दस्तावेजो के सत्यापन/अंतिम काउंसिलिंग छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. मुख्यालय छठवीं मंजिल, टॉवर–सी कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सी.बी.डी., सेक्टर –21 अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.) के सभा कक्ष में दिनांक 19/09/2018 को प्रातः 10:00 से आयोजित की गई है :–

लेखापाल

Sl. No.	Roll Number	Name	Father's Name	M/F	Category	Marks
1	11010376	VINOD KUMAR	SHYAM LAL	M	GEN (PH.)	52.703
2	16020309	ASHOK KUMAR	RAM KRISHNA PATEL	M	OBC (PH.)	51.436
3	13020099	MANISH KUMAR JAISWAL	LAXMI NARAYAN	M	OBC (PH.)	49.662
4	13030299	AVINASH KUMAR PANDEY	DINESH KUMAR PANDEY	M	GEN (PH.)	47.635
5	17010191	MAHENDRA KUMAR PRADHANI	SANO PRADHANI	M	GEN (PH.)	44.088
6	13010014	YOGESHWAR KUMAR TANDAN	RAMJI TANDAN	M	SC (PH.)	43.581
7	13010173	PARMANAND SAHU	BIHARI LAL SAHU	M	OBC (PH.)	43.328
8	16040281	CHANDRADEEP KUMAR SAO	VIJAY KUMAR SAO	M	GEN (PH.)	43.074
9	16030110	KAMLESH KUMAR	RAMSINGH	M	OBC (PH.)	43.074
10	16030143	VIJAY KUMAR	AMOLI RAM	M	ST (PH.)	42.821
11	25010349	PAWAN KUMAR YADAV	RAM DAYAL YADAV	M	OBC (PH.)	42.568
12	11010056	IMTIYAJ ANSARI	ABDUL ZALIL	M	GEN (PH.)	42.061
13	25030132	OMESHWARI DHANGAR	BHUSHAN DHANGAR	F	OBC (PH.)	42.061
14	25030314	PUSHPA	GOPAL SAHU	F	OBC (PH.)	40.541
15	17010014	MINESH KUSHWAHA	SHARD KUSHWAHA	M	OBC (PH.)	38.514
16	13010134	RAKESH DAS	KUNJBIHARI DAS	M	GEN (PH.)	37.753
17	13020052	RAVINDRA KUMAR GUPTA	RAJENDRA GUPTA	M	GEN (PH.)	37.500
18	13010334	BALDHAR KUMAR KUMBHAKAR	RAMDAS KUMBHAKAR	M	OBC (PH.)	37.247
19	17010218	KHEM SINGH	BAMDEV	M	OBC (PH.)	36.233
20	13010220	DHANANJAY RATHORE	SATYANRAYAN RATHORE	M	OBC (PH.)	35.220

कमशः.....2

टीप :–

1. दस्तावेज सत्यापन/काउंसिलिंग हेतु उक्त अभ्यर्थियों का चिन्हांकन पूर्णतः प्रावधिक है तथा चिन्हांकन/चयन के किसी भी स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने पर विपणन संघ द्वारा अनर्ह घोषित कर चिन्हांकन/चयन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकता है।

2. दस्तावेज सत्यापन/काउंसिलिंग के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय में दस्तावेजों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित् छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सी.बी.डी. सेक्टर –21, नया रायपुर में उपस्थिति देंवे।

3. अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। अतः दस्तावेज सत्यापन के समय राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

4. क्षेत्र सहायक/लेखापाल परीक्षा 2017 के पद के लिए विपणन संघ द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन की कंडिका –2 (अ/ब) क्रमांक/स्था.वि./5400/2016/रायपुर दिनांक 06.12.2016 के अनुसार अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षो के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम 06.12.2016 तक का अथवा इसके पूर्व का होना अनिवार्य है। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें। इस संबंध में उपाधि/प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

5. यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को दस्तावेज सत्यापन/काउंसिलिंग के लिए उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात् पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आपको अनर्ह किया जाएगा।

6. यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्यप्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया ''जाति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करते है तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के तीन वर्ष के भीतर का स्वयं को ''गैर क्रीमीलेयर'' में आने के संबंध में ''आय प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी ''जाति प्रमाण पत्र'' (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अनर्ह किया जाएगा।

7. छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें गैर क्रीमीलेयर का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में

क्रमश :.....3

दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो तो उने अभ्यर्थियों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 3 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत् है तो नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

9. यदि विपणन संघ द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो–दो प्रतियां अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

10. जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

11. यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है तथा आपने विज्ञापन दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

12. यदि आप निःशक्तजन है तो शारीरिक विकलांगता हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होगें।

13. विज्ञापन कमांक/स्था.वि./5400/2016/रायपुर दिनांक 06.12.2016 की कंडिका –14 के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा। अतः दो से अधिक जीवित संतान है तो अंतिम संतान का जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

14. पहचान–पत्र जैसे मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

15. यदि आप उपरोक्त अनुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते है तो आपको चयन सूची में शामिल नहीं किया जावेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तो की पूर्ति करते है अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ का होगा एवं इस संबंध में विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

16. दस्तावेज सत्यापन/काउंसिलिंग के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी।

17. शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन/काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जायेगा।

19. विज्ञापन की कंडिका –3 के अनुसार आयु की गणना 01.01.2016 से की जायेगी।

20. दस्तावेज सत्यापन/काउंसिलिंग के समय क्षेत्र सहायक/लेखापाल परीक्षा 2017 के लिए आनलाईन आवेदन एवं छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र की एक प्रति स्वप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य है।

कमश :.....4

21. दस्तावेज सत्यापन/काउंसिलिंग हेतु आहूत करने मात्र से अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र नहीं होगें। रिक्त पद के विरूद्ध दुगुने अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन/काउंसिलिंग हेतु आहूत किया गया है।

(यू.बी.एस.राठिया)
सचिव
छ.ग. राज्य सह. विप. संघ मर्या.
मुख्यालय अटल नगर

पृ. कमांक/स्था.वि./एन. 128II/ २९२६ /2018 अटल नगर, दिनांक 14 .09.2018

प्रतिलिपि :–

1. विकास अधिकारी (एम.आई.एस) आई.टी. को निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्र सहायक एवं लेखापाल की काउंसिलिंग सूची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

सचिव
छ.ग. राज्य सह. विप. संघ मर्या.
मुख्यालय अटल नगर